(73)

निगरानी-5850/2018/इंदौर/भू.रा.

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, खण्डपीठ इन्दौर म.प्र. के समक्ष

1. अनतनारायण पिता रामचन्द्र
2. हुकुमसिंह पिता रामचन्द्र
3. किशोर पिता रामचन्द्र
4. प्रकाश पिता रामचन्द्र

निवासी-- ग्राम दुधिया तह. व जिला इन्दौर म.प्र. ---प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ---प्रत्यर्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भ.रा. संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक संयोगितागंज के प्रकरण क्रं. 63/अ-12/15--16 में अदिनांकित पारित आदेश पंचनामा दिनांक 8/06/2016 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 5850/2018/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-11-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश एवं सीमांकन आदेश दिनांक 8-6-16 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19-9-18 को लगभग दो वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में दर्शाये गये कारण समाधानकारक नहीं होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति -अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत -अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	